न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 19/2016 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2016/00073

उनवान

जगदीश पुत्र रामचरन जाति मीणा निवासी ग्राम नगला हेतराम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर।
........................अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वैर जिला भरतपुर।

................................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 20.04.2016 प्र.संख्या 88/16 उनवानी जगदीश बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :—
1. वकील अपीलांट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक— 30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार वैर ने आराजी खसरा नम्बर 454, 1229/456, 459 रकबा 4.03 बीघा वाके ग्राम भूतौली तहसील वैर पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने व 208 रूपये शास्ति एवं पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

Web Copy Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादिज आराजी पर अपीलाण्ट का पूर्वजो के समय से ही अनवरत कब्जा काश्त चला आ रहा है पूर्व में कई बार अदालत तहत द्वारा एवं अदालत हाजा द्वारा पुराना कब्जा अपीलाण्ट का होने के कारण आवंटन कमेटी को अपीलाण्ट के हक में नियमन करने की सिफारिश की जा चुकी है। परन्तु अपीलाण्ट कानूनी प्रावधानो से अनभिज्ञ एवं ग्रामीण किसान तथा अनपढ होने के कारण आवंटन की कोई कार्यवाही अपीलाण्ट के हक में नहीं की गई है। जबकि मुताबिक कानून अपीलाण्ट पुराने कब्जे के आधार पर विवादित आराजी का अपने हक में आवण्टन कराने का पूर्ण अधिकारी है। विवादित आराजी बाबत् उप जिला कलक्टर बयाना के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में अपीलाण्ट का पुराना कब्जा बताया गया है एवं राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के पत्रांक 250 दिनांक 25.02.1989 से भी जिला कलक्टर को राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशो के अनुसरण में अपीलाण्ट के कब्जा शुदा भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिये गये हैं। इस कारण से भी पुनः धारा 91 की कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा भी उक्त तथ्यों को ध्यान में लाये बिना अपील खारिज करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाईल प्रपत्र पर पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार अपीलाण्ट एक पश्चातवर्ती अतिक्रमी है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित आराजी की किस्म चारागाह है, जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ सार्वजनिक सुविधा को बंधक नही बनाया जा सकता है। रा0 भू राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन) नियम 1970 के नियम 20 में अतिक्रमी को बेदखली के स्थान पर नियमन का प्रावधान अवश्य है परन्तु यह बाध्यकारी नही है। उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर नियमन करने अथवा ना करने का निर्णय लेना है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन कमेटी ने अपीलाण्ट का सन् 1970 से पूर्व का कब्जा ना मानते हुये, उपखण्ड अधिकारी ने गुणावगुण की समुचित विवेचना कर आवण्टन सलाहकार समिति की सलाह अनुसार अपीलाण्ट को विवादित आराजी के नियमन की अनुशंषा को निरस्त किया है। वैसे भी अतिक्रमण का नियमन किया जाना कोई वैधानिक अधिकार

नहीं होकर प्रशासनिक प्रक्रिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है एवं पूर्व में भी अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट भी विवादित भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. हम अपीलाण्ट के इस तर्क में वजन पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित करना त्रुटिपूर्ण है। परन्तु अपीलांट का उपरोक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह है परन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official